8

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

पत्र सं0 टी–3/योजना(LWE)–05/2016– 1210 / पटना, दिनांक– 28/04/2016

प्रेषक– विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय– श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत अरवल जिले के मौजा करपी एवं धमौल में एक–एक कौशल विकास केन्द्र (SDC) के भवन निर्माण कार्य हेतु रूपये 65.00 लाख (पैंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) अर्थात् कुल राशि 130.00 लाख (एक करोड़ तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्रम ससाधन विभाग (प्रशिक्षण–पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत अरवल जिले के मौजा करपी एवं धमौल में एक–एक में कौशल विकास केन्द्र (SDC) के भवन निर्माण कार्य का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–3115 दिनांक–29/03/2016 द्वारा रूपये 65.00 लाख (पैंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) हेतु प्राप्त हुआ है। भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में रूपये 65.00 लाख (पैंसठ लाख) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र (SDC) अर्थात् कुल राशि 130.00 लाख (एक करोड़ तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय निम्न शीर्ष से की जाएगी :–

(क) केन्द्रांश :–मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60 अन्य भवन, लघु शीर्ष–051 निर्माण माग संख्या–3, उप शीर्ष 0222 कौशल विकास योजना विपत्र कोड–P4059600510222 के अन्तर्गत कुल राशि 35.00 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 70.00 लाख एवं

(ख) राज्यांश:–मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष–051 निर्माण, मांग संख्या–3, उप शीर्ष 0322 कौशल विकास योजना विपत्र कोड–P4059600510322 के अन्तर्गत कुल राशि 11.70 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 23.40 लाख तथा

(ग) राज्य योजना– इसके अलावे शेष राशि 18.30 लाख प्रति कौशल विकास केन्द्र(SDC) अर्थात् कुल राशि 36.60 लाख का व्यय मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60– अन्य भवन, लघु शीर्ष –051 निर्माण, मॉग संख्या –3 उप शीर्ष–0112 औ0 प्र0 संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुर्ननिर्माण/उन्नयन विपत्रंकोड–P4059600510112 राज्य योजना स्कीम कोड–बी0 यू0 आई0 –5579 से किया जायेगा। जो वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति बजट उपबंध/आवंटन के अनुरूप आवश्यकतानुसार ही राशि की निकासी होगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–एम04–5198 –2561वि.(2), दिनांक–17/04/ 98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, अरवल से की जायेगी।

5. कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

सचिका स0– टी–3/योजना(LWE)–05/2016 के पृ0– 5/टि0 पर विभागीय सचिव महादय को प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव तथा पृ0– 5/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– टी–3 / योजना(LWE)–05 / 2016– 1210 / प ट ना, दिनाक– 28 / 04 / 2016

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियो में) / वित्त विभाग (बजट शाखा) / विकास आयुक्त के सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग / सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक– टी–3 / योजना(LWE)–05 / 2016– 1210 / प ट ना, दिनाक– 28 / 04 / 2016

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, अरवल / प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया / कार्यपालक अभियता, भवन प्रमण्डल, अरवल / जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल / प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, अरवल / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, अरवल को निदेश दिया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।(प्राक्कलन की प्रति संलग्न)

विशेष कार्य पदाधिकारी